

## कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./कॉलेज/A22P0026/

/2023,

भोपाल, दिनांक

/04/2023

## आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए पी एस एज्युकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी के द्वारा संचालित विक्रान्त इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड साइन्स को इन्दौर जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2022-2023 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
02	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	50

## आवश्यक निर्देश :-

- संस्था को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर, परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 10 मई, 2023 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद के नियम विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
- संस्था द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- शासन/परिषद की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था को उपरोक्त उल्लेखित समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि 10 मई, 2023 तक म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को अनिवार्य रूप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, के नाम से राशि रुपये तीन लाख का एफडीआर /सावधि जमा की मूल प्रति न्यूनतम पाँच वर्ष की वैधता अवधि हेतु सुरक्षा निधि एफडीआर के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
- डिप्लोमा / डिग्री / पीजी सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि राशि में जमा कराये जाने का सत्यापन प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद को प्रस्तुत करने में विफल होने पर, संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन प्रवेश फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिषद में (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।

निरन्तर पृ.क्र. 2 पर....

कायालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, सहा-वैदिकस्थीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)  
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)  
एलीय तल, एलिनम एलाजा, माला मन्दिर रोड, भीपाल

(2)

11. मध्यप्रदेश सहा-वैदिकस्थीय परिषद द्वारा दी गई अर्जा / मान्यता किरी भी समय समाप्त की जा सकती।
12. सहा द्वारा संघालित / अनुमति प्राप्त सहा-वैदिकस्थीय पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2023-2024 की निरन्तरता नवीन पाठ्यक्रम बावले सहा का परिषद द्वारा निर्धारित लिख तल मान्यता शैलक, ऑनलाइन जमा करना आवश्यक होगी। जिसके लिये सहा जिम्मेदार होगी।

रजिस्ट्रार

११

मध्यप्रदेश सहा-वैदिकस्थीय परिषद  
भीपाल, दिनांक / 04/2023

पृष्ठांकन क्र./कॉलेज/A22P0026/ 928 /2023,

प्रतिनिधि :- संचालक एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, वैदिकस्थीय शिक्षा विभाग, भीपाल।
2. प्रमुख सहायक, मध्यप्रदेश शासन, वैदिकस्थीय शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भीपाल।
3. प्रमुख सहायक, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भीपाल।
4. अवर सहायक, मध्यप्रदेश शासन, वैदिकस्थीय शिक्षा विभाग, भीपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भीपाल।
6. आयुक्त, आर्य, मध्यप्रदेश, भीपाल।
7. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
8. कलेक्टर, जिला-इन्दौर।
9. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. अधिष्ठाता, स्वशास्त्री महात्मा गाँधी स्मृति वैदिकस्थीय महाविद्यालय, इन्दौर।
11. मुख्य वैदिकस्थीय एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-इन्दौर।
12. सचिव सचन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला-इन्दौर।
13. जिला संचालक, आदिम जाति कल्याण जिला-इन्दौर।
14. Director, National Information Center, M.P., State Center Windhyachal Bhawan, Bhopal
15. सचालक/प्राचार्य, विकान्त इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड साइन्स, बेदरनी कॉलेज के पीछे, ग्राम बोरखेड़ी, पोस्ट हरसोला, महुँ, जिला-इन्दौर।
16. सचालक, एम.पी. ऑनलाइन, डेवलपमेंट कार्यालय, एलीय तल, स्टेट आर्टिटी पार्क, अबास नगर, नियर आर.जी. वी. गाँधी नगर, भीपाल (उपरोक्तानुसार प्रवेश फार्म सम्बन्धी कार्यावाही हेतु संचालक)
17. आदेश काइल / परीक्षा कक्ष, स्थानीय कार्यालय।

रजिस्ट्रार  
14/4/23

मध्यप्रदेश सहा-वैदिकस्थीय परिषद